

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2022 / 230

दिनांक :- 10.5.2022

मुकदमा नंबर 61/2022

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|------|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. रतनसिंह पुत्र रावतसिंह 2. देवीसिंह पुत्र रावतसिंह 3. हुकमसिंह पुत्र रावतसिंह 4. भटदूसिंह पुत्र मूलसिंह 5. खेतसिंह पुत्र मूलसिंह 6. रामुकंवर पुत्री मूलसिंह 7. भंवरीकंवर बेवा मूलसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीयान गोलिया विदा (रिछोली) तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। | | <ol style="list-style-type: none"> 1. चंदनसिंह पुत्र दुर्गसिंह 2. राणसिंह पुत्र दुर्गसिंह 3. गणपतसिंह पुत्र जीवसिंह जाति राजपूत निवासी साजियाली तह0 पचपदरा 4. छगनाराम पुत्र वगताराम प्रजापत निवासी क्यार चारणान तहसील पचपदरा 5. प्रेमसिंह पुत्र आमसिंह 6. रविन्द्रसिंह पुत्र आमसिंह 7. भीखकंवर पत्नी आमसिंह जातियान राजपूत निवासीान साजियाली तह0 पचपदरा 8. अणचीदेवी पत्नी रणछोडाराम जाति प्रजपात निवासी क्यार चारणान तहसील पचपदरा 9. गुमनाराम पुत्र जेठाराम 10. पैमाराम पुत्र जेठाराम 11. रामाराम पुत्र पनाराम 12. भंवराराम पुत्र हीराराम 13. चौखाराम पुत्र हीराराम 14. धापू पत्नी हीराराम जातियान जाट निवासीयान साजियाली मूलराज क्यार 15. मांगीलाल पुत्र धूडाराम 16. डूंगराराम पुत्र धूडाराम जाति नाई निवासी जसोल तह0 पचपदरा 17. प्रहलादराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी शिवनाथपूरा, गोपडी तहसील पचपदरा 18. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा पचपदरा 19. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा। 20. राज सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपदरा। |

आदेश

दिनांक :- 10.05.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा गोलिया वीदा, पटवारी क्षेत्र रिछाली भू-निरीक्षक पाटोदी तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 3 रकबा 36-19 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार



23/05/22

5/11

बं ली रूपयं मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्राचीनगण द्वारा मौके पर जदा किया जायेगा।
पुलिस इमपद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(-सि. सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

क्रमांक / सीडर / 2022 / 271

दिनांक :- 10/5/22

1. तहसीलदार बचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित
करे, साथ ही पानना रिपोर्ट मिलवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या
व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर मिलवाये।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा